निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1936 (शo)

(सं0 पटना 956) पटना, शुक्रवार, 21 नवम्बर 2014

सं0 2ब०/विविध 21–14/2014–3557/न० वि० एवं आ० वि०

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 नवम्बर 2014

विषयः– नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के नगर निकायों से ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं को विभागीय रूप से कार्यान्वित कराने के लिए लगातार अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं। नगर निकायों का कथन है कि कभी–कभी पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा के समय तत्काल कार्य करने की आवश्यकता होती है परन्तु सूचना एवं जन संपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में निविदा प्रकाषित कराने में काफी समय लग जाता है। साथ ही छोटे कार्यों के लिए संवेदक भी रूचि नहीं लेते हैं। विभागीय समीक्षा बैठकों में भी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है।

2. पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3503 दिनांक 13.06.2013 की कंडिका (iii) द्वारा प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली वैसी योजनाएँ, जिनकी अनुमानित लागत ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) की हों, का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के संबंध में निर्णय सरकारी कर्मियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में सन्निहित राशि के मद्देनजर जिला परिषद/पंचायत समिति द्वारा स्वयं लिया जाएगा।

3. अतः वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.11.2014 के मद संख्या 06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य योजनाओं तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वीं वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी योजनाओं के लिए; जिनकी लागत ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक हों; निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित नगर निकाय, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।

5. विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से ही कराया जाएगा। एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएँ ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएँगी और एक स्कीम के लिए दिए गए एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाएगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 956-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in